प्रेस नोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा फलौदी, जोधपुर में वनस्पति संरक्षण अधिकारी टिड्डी मण्डल को 27 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

जयपुर, दिनांक 01.11.2020। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा की जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा श्री पवन कुमार, वनस्पति संरक्षण अधिकारी टिड्डी मण्डल कार्यालय, फलौदी, जोधपुर को कुल 27 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी, आई.पी.एस. ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण इकाई के अति0 पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिंह लखावत को परिवादी श्री अजय पाल सिंह द्वारा शिकायत दी गयी कि मेरे भाई की कैम्पर गाडी को राज्य सरकार द्वारा टिड्डी नियन्त्रण के लिए रसायन छिड़काव कार्य करने हेतु लगाई गई थी, जिसके बकाया बिल पारित करने की एवज में वनस्पति संरक्षण अधिकारी टिड्डी मण्डल के पवन कुमार द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। जिस पर नियमानुसार रिश्वत की मांग का सत्यापन किया जाकर ए.सी.बी. टीम जोधपुर ग्रामीण के श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा आज जाल बिछाया जाकर **श्री पवन कुमार** पुत्र श्री दलीपसिंह, जाति राजपूत चौहान उम्र 51 वर्ष नि0 10/15 टीचर्स कॉलोनी, बाजपुर पुलिस थाना बाजपुर जिला उधमसिंह नगर राज्य उतराखण्ड हाल वनस्पति संरक्षण अधिकारी टिड्डी मण्डल कार्यालय, फलौदी, जोधपुर को **कुल 27 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण में आरोपी से पूछताछ की जा रही है व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर श्री विष्णुकांत कर रहे हैं।

ब्यूरो महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि यदि कोई राज्य या केन्द्र सरकार का लोकसेवक रिश्वत मांगे तो तत्काल ए.सी.बी. से **टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।